राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड

(पूर्व राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड)
राज्य कृषि प्रबन्ध संस्थान परिसर, दुर्गापुरा, जयपुर – 302018
www.rsmssb.rajasthan.gov.in दूरभाष नं.–0141–2722520

क्रमांकः प.8 (44)/R.S.S.B./प.आ./लि.ग्रे.II/क.स.सं.सी.भ.प./2018/426 दिनांकः 17.7.2018

विज्ञप्ति

"लिपिक ग्रेड–II/कनिष्ठ सहायक संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा, 2018" के समस्त अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि अभ्यर्थियों के अंग्रेजी में नाम के अंग्रेजी वर्णमाला (English Alphabet) में प्रथम नामाक्षर के क्रमानुसार यह सीधी भर्ती परीक्षा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा दो सत्रों में निम्नानुसार आयोजित की जावेगी :–

क्र.सं.	अभ्यर्थी के अंग्रेजी में नाम का प्रथम नामाक्षर (Alphabet)	परीक्षा आयोजन का दिनांक	परीक्षा आयोजन का समय	
			प्रथम सत्र/ प्रथम प्रश्न पत्र	**द्वितीय सत्र/ द्वितीय प्रश्न पत्र**
1.	**A to G (ए से जी तक)**	12.08.2018 (रविवार)	प्रातः 08.00 बजे से 11.00 बजे तक	अपरान्ह 02.00 बजे से 05.00 बजे तक
2.	**H to M (एच से एम तक)**	19.08.2018 (रविवार)	प्रातः 08.00 बजे से 11.00 बजे तक	अपरान्ह 02.00 बजे से 05.00 बजे तक
3.	**N to R (एन से आर तक)**	09.09.2018 (रविवार)	प्रातः 08.00 बजे से 11.00 बजे तक	अपरान्ह 02.00 बजे से 05.00 बजे तक
4.	**S to Z (एस से जेड तक)**	16.09.2018 (रविवार)	प्रातः 08.00 बजे से 11.00 बजे तक	अपरान्ह 02.00 बजे से 05.00 बजे तक

लिपिक ग्रेड–II/कनिष्ठ सहायक संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा, 2018 के लिए ई–प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की तिथि बाबत् यथासमय अलग से सूचित कर दिया जावेगा ।

परीक्षार्थियों को यह भी सूचित किया जाता है कि परीक्षा केन्द्रों पर नकल एवं प्रतिरूपण की रोकथाम के लिए बहुत ही प्रभावी उपाय किये गये हैं। अतः परीक्षा में नकल/प्रतिरूपण कराने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह के किसी झाँसे/बहकावे में नहीं आवें। नकल करने के लिए अनुचित साधनों का प्रयोग नहीं करें। नकल एवं प्रतिरूपण के प्रयास में पकड़े जाने पर आपराधिक प्रकरण दर्ज होने के साथ आपकी परीक्षा निरस्त होने एवं आगे आयोजित होने वाली बोर्ड परीक्षाओं में भाग लेने से रोक लगने से आपका कैरियर समाप्त हो सकता है।

परीक्षाओं के सम्बन्ध में विभिन्न सोशल मीडिया पर किये जाने वाले भ्रामक प्रचार पर विश्वास न करें। बोर्ड द्वारा राज्य स्तरीय प्रतिष्ठित समाचार–पत्रों में एवं बोर्ड की वेबसाईट www.rsmssb.rajasthan.gov.in पर प्रकाशित विज्ञप्ति द्वारा दी गई जानकारी को ही अधिकृत माना जावे ।

नवीनतम एवं अद्यतन सूचनाओं की जानकारी के लिए बोर्ड की वेबसाईट www.rsmssb.rajasthan.gov.in का नियमित रूप से अवलोकन करें ।

(डॉ. बी0 एल0 जाटावत)
अध्यक्ष

क्रमांकः प.8 (44)/R.S.S.B./प.आ./लि.ग्रे.II/क.स.सं.सी.भ.प./2018/426 दिनांकः 17.7.2018

प्रतिलिपिः–1. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय, शासन सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि कृपया उक्त विज्ञप्ति को दैनिक समाचार पत्र "दैनिक भास्कर", "राजस्थान पत्रिका", "राष्ट्रदूत" एवं दैनिक नवज्योति" के राजस्थान राज्य के समस्त संस्करणों में अविलम्ब प्रकाशित करवायें एवं बिल भुगतान हेतु बोर्ड कार्यालय को प्रेषित कर दें।

2. जिला कलक्टर, (समस्त), राजस्थान को प्रेषित कर लेख है कि उक्त विज्ञप्ति कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करवावें ।
3. प्रभारी, आई.टी. प्रकोष्ठ R.S.S.B. को प्रेषित कर लेख है कि उक्त विज्ञप्ति को बोर्ड की वेबसाईट पर तत्काल अपलोड करावें।
4. निजी अनुभाग (अध्यक्ष/सदस्यगण/सचिव) /लेखा अनुभाग, R.S.S.B.
5. रक्षित पत्रावली/विज्ञप्ति पत्रावली ।

अध्यक्ष